बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

ई–मेल

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

1444

यू0 पी0 एस0 (बैट्री सहित) क्रय हेतु आमंत्रित निविदा की अवधि विस्तारण

मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, 7, सरदार पटेल मार्ग, (मैंगलस रोड), बिहार, पटना के कार्यालय उपयोग हेतु नया 5KVA का UPS Set GeM Portal पर Buyback Option नहीं रहने के कारण वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में 5KVA का पुराना खराब UPS Set - 01 अदद (Battery सहित) Buyback करते हुए नया 5 KVA का UPS Set - 01 अदद (Battery दो घंटा बैकअप सहित) निविदा के माध्यम से क्रय हेतु इच्छुक आपूत्तिकर्त्ता/ऐजेंसी एवं फर्मों से मुहरबन्द दर द्वेय पद्धति लिफाफा में निविदा दिनांक 14.02.2020 के अपराह्ण 4:00 बजे तक आमंत्रित की गयी थी, परन्तु उक्त आमंत्रित निविदा में एक ही निविदादाता द्वारा निविदा समर्पित करने के फलस्वरूप उक्त आमंत्रित निविदा की आमंत्रण की अवधि दिनांक 16.03.2020 तक विस्तारित की जाती है तथा इच्छुक आपूत्तिकर्त्ता/ऐजेंसी एवं फर्मों से मुहरबन्द दर द्वेय पद्धति लिफाफा में निविदा दिनांक 16.03.2020 के अपराह्ण 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में उसी दिन 5:00 बजे अपराह्ण में विभागीय क्रय समिति एवं निविदादाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं :–

(1)निविदा दो प्रकार की होगी :–

(क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा।

(क) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में प्राप्त की जायेगी, जिस पर लाल स्याही से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए। लिफाफा पर स्पष्ट शब्दों में तकनीकी/वित्तीय निविदा नहीं अंकित रहने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त दोनों लिफाफा एक बड़ा लिफाफा में बंद कर प्रेषित किया जायेगा, जिस पर स्पष्ट लिखा रहना चाहिए कि "UPS क्रय हेतु निविदा"। निविदा संबंधी लिफाफा निबंधित डाक/निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित तिथि एंव नियमित समय तक प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद भेजे गए निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

(i) निविदादाताओं को निविदा के समय जमानत की राशि के रूप में ₹20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, बिहार–सह–सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से निर्गत हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिन निविदादाताओं का निविदा सफल नहीं होगा उनकी जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।

(ii) निविदादाता सर्विस टैक्स/GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं आयकर के विगत तीन वर्षों का भुगतान की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करेगें।

(iii) निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनकी फर्म कहीं से ब्लैकलिस्टेड नहीं है।

(iv) तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :–

(i) वित्तीय निविदा में नये 5 KVA का UPS Set - 01 अदद (Battery दो घंटा बैकअप सहित) की सभी विशिष्टताएँ अंकित करेगें साथ ही निविदादाता UPS एवं Battery का Guarantee/Warranty स्पष्ट रूप से दर्ज करेंगे।

(ii) वित्तीय निविदा में 5 KVA का पुराना खराब UPS Set - 01 अदद (Battery सहित) Buyback का मूल्य, नया 5 KVA का UPS Set - 01 अदद (Battery सहित) का मूल्य तथा Buyback के पश्चात् का मूल्य अलग–अलग अंकित करेंगे।

(iii) पुराने UPS (Battery सहित) को हटाने एवं नया UPS (Battery सहित) को अधिष्ठापित करने की जिम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी।

(iv) निविदादाता निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं।

(v) निविदा में डाले गये दर की मान्यता तीन महीनें तक रहेगी।

(vi) निविदा रद्द करने, विस्तारित करने एवं स्थगित करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सुरक्षित रहेगा।

2.3.2020

(आलोक कुमार)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner